अध्याय–I
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रुझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी 1.1.1** में दर्शाये गये हैं:

सारणी 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
1.	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	52,613.43	58,098.36	66,582.08	74,172.42	81,106.26
	• करेतर राजस्व	10,145.30	12,969.98	16,449.80	19,934.80	23,134.65
	योग	**62,758.73**	**71,068.34**	**83,031.88**	**94,107.22**	**1,04,240.91**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	50,350.95	57,497.86	62,776.70	66,622.91	90,973.69[1]
	• सहायता अनुदान	17,760.02	17,337.79	22,405.17	32,691.47	31,861.34
	योग	**68,110.97**	**74,835.65**	**85,181.87**	**99,314.38**	**1,22,835.03**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,30,869.70**	**1,45,903.99**	**1,68,213.75**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**
4.	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**48**	**49**	**49**	**49**	**46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

उपरोक्त सारणी इंगित करती है कि वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व (₹ 1,04,240.91 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,27,075.94 करोड़) का 46 प्रतिशत था। 2015–16 के दौरान शेष 54 प्रतिशत की प्राप्तियाँ भारत सरकार से थीं।

[1] विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2015–16 के वित्त लेखों में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में मुख्य लेखा शीर्षक अ–कर राजस्व के अन्तर्गत–0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

चार्ट 1.1

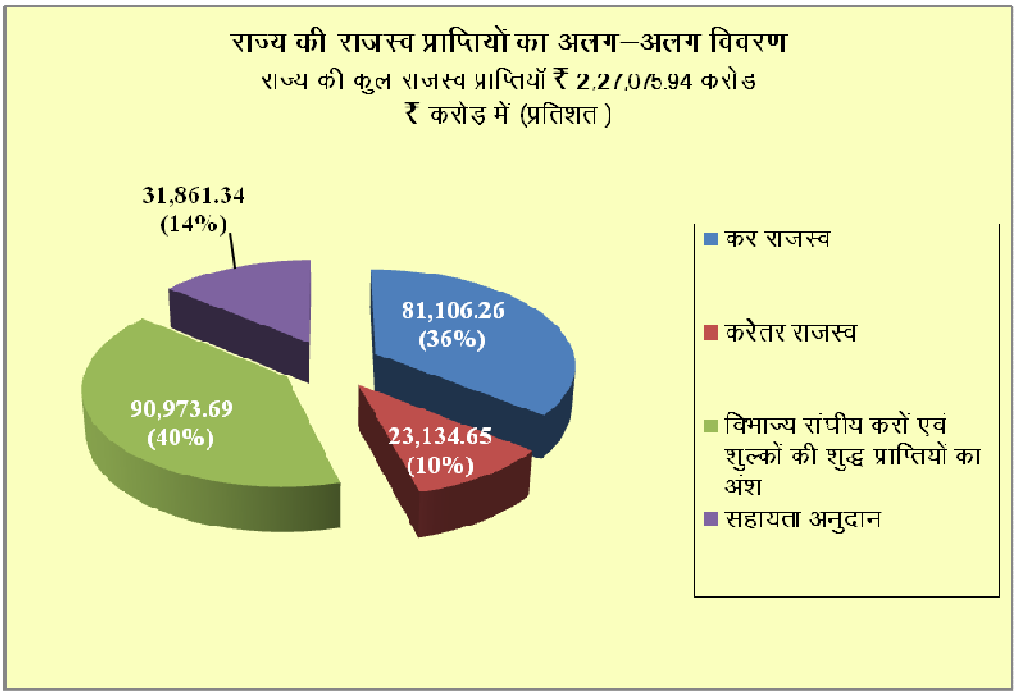

1.1.2 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.2** में दिये गये हैं:

सारणी 1.1.2
उगाहे गये कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	की तुलना में वर्ष 2015–16 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2015–16 के ब0अ0	2014–15 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	32,000.00 33,107.34	38,492.18 34,870.16	43,936.00 39,645.45	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	(–) 9.45	(+) 11.09
2	राज्य आबकारी	8,124.08 8,139.20	10,068.28 9,782.49	12,084.00 11,643.84	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	(–) 19.52	(+) 4.46
3	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	6,612.00 7,694.40	9,308.00 8,742.17	10,555.00 9,520.92	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	(–) 16.39	(+) 5.09
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	2,329.95 2,380.67	3,093.90 2,993.96	3,713.00 3,442.01	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	(–) 5.31	(+) 16.14
5	अन्य[2]	1,268.12 1,291.80	1,094.68 1,709.58	1,905.00 2,329.86	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	(+) 11.81	(+) 16.63
योग		**50,334.15** **52,613.41**	**62,057.04** **58,098.36**	**72,193.00** **66,582.08**	**80,997.93** **74,172.42**	**91,915.00** **81,106.26**	**(–) 11.76**	**(+) 9.35**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

[2]अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, मनोरंजन कर एवं दाँव कर।

चार्ट 1.2

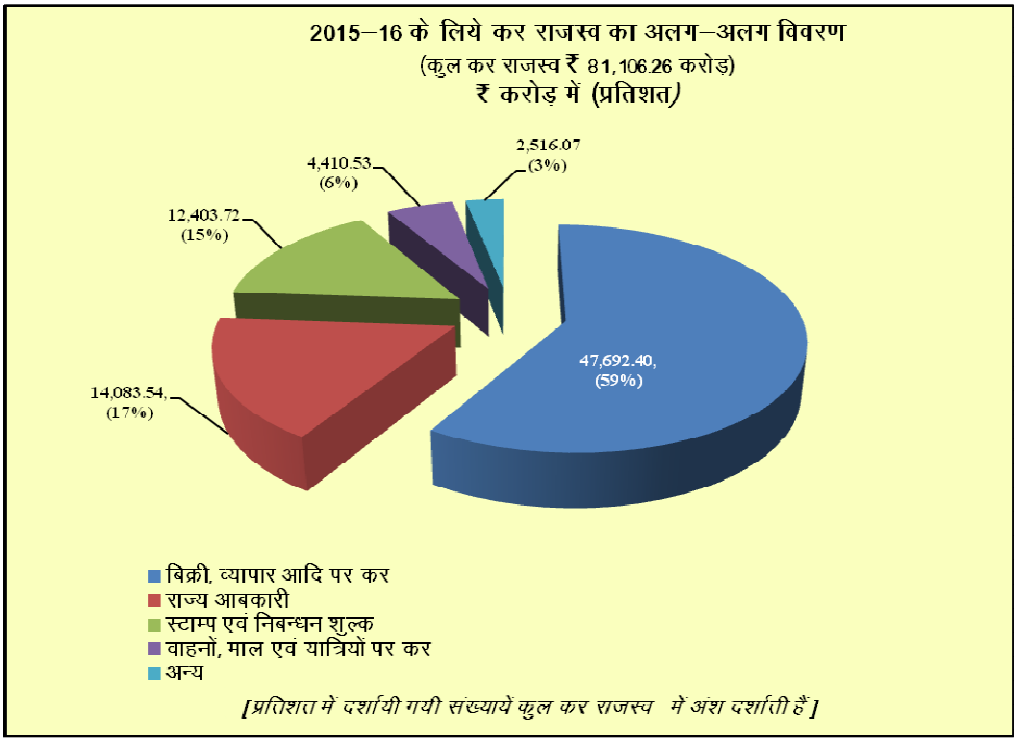

सारणी 1.1.2 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक के मध्य भिन्नता (–) 19.52 और (+) 11.81 प्रतिशत के मध्य एवं 2014–15 और 2015–16 के वास्तविक के मध्य भिन्नता (+) 4.46 से (+) 16.63 प्रतिशत के मध्य थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस एवं सीमेन्ट के मूल्य में कमी के कारण बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियों की वृद्धि का कारण[3] बिक्री, व्यापार आदि पर कर के अन्तर्गत प्राप्तियों के अधिक संग्रह के कारण थी।

राज्य आबकारी विभाग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, मुख्यतः इस राज्य की तुलना में नजदीकी राज्यों में अपेक्षाकृत उपकर, प्रतिफल फीस एवं मदिरा के मूल्य का कम होना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि, देशी स्प्रिट एवं माल्ट मदिरा आदि के मद में अधिक राजस्व की वसूली के कारण[4] थी।

स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, जनता द्वारा विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रीयल इस्टेट में कम रुचि लेना बताया गया। यद्यपि, वास्तविक प्राप्ति, वार्षिक दर सूची में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष से अधिक थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी बजट अनुमान एवं प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में भिन्नता के कारणों को सूचित नही किया (अक्टूबर 2016)।

1.1.3 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारणी 1.1.3** में दर्शाये गये हैं:

[3] वित्त लेखे के अनुसार।
[4] वित्त लेखे के अनुसार।

सारणी 1.1.3

उगाहे गये करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	की तुलना में वर्ष 2015–16 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2015–16 के ब0अ0	2014–15 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवाये	4,216.01 4,035.23	3,264.23 4,494.11	2,970.98 3,194.28	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	(+) 3.67	(–) 22.67
2	शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति	3,000.00 2,008.55	5,410.00 4,211.69	5,852.75 6,414.09	6,887.18 5,798.52	7,600.00 10,652.08	(+) 40.16	(+) 83.70
3	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	900.00 593.28	954.00 722.13	1,000.00 912.52	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	(–) 18.52	(+) 18.72
4	बिजली	180.00 76.83	90.00 72.80	270.00 1,060.81	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	(–) 51.03	(+) 36.61
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	3,815.55 3,431.41	4,455.59 3,469.25	3,088.75 4,868.10	5,506.96 5,738.58	5,062.32 4,989.01	(–) 1.45	(–)13.06
	योग	**12,111.56** **10,145.30**	**14,173.82** **12,969.98**	**13,182.48** **16,449.80**	**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**(+) 6.93**	**(+) 16.05**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

चार्ट 1.3

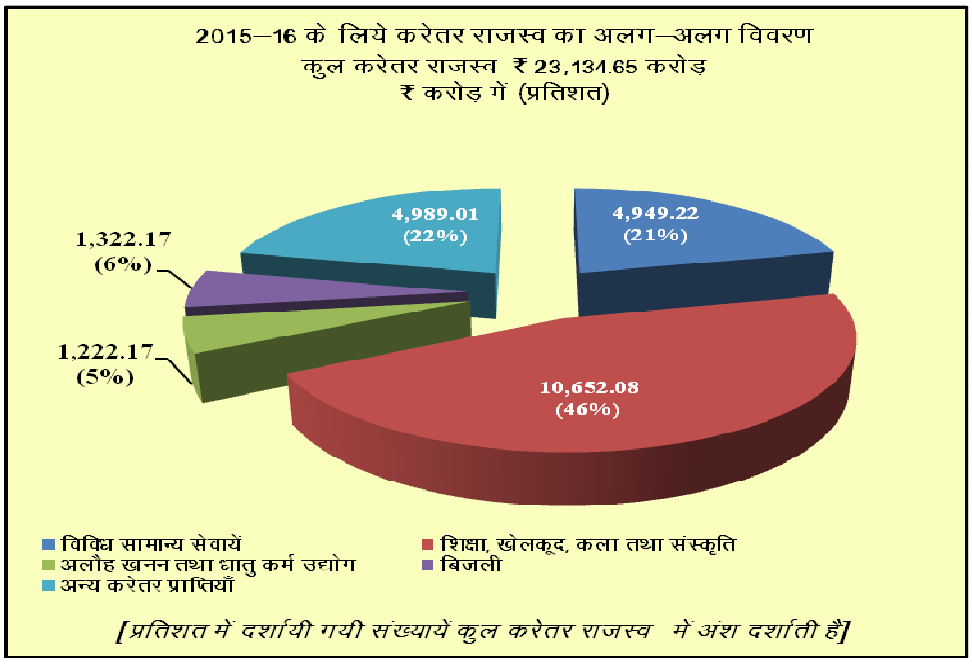

[5]अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं:
अन्य राजकोषीय सेवाये, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, लेखन तथा मुद्रण सामग्री, लोक निर्माण कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूली, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जल पूर्ति तथा सफाई, आवास, शहरी विकास, सूचना तथा प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाएं, फसल कृषि, पशु पालन, डेरी विकास, मछली पालन, वानिकी तथा वन्य प्राणि, कृषि एवं अनुसन्धान एवं शिक्षा, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, भूमि सुधार, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, मुख्य सिचाई, मध्यम सिचाई, लघु सिचाई, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ग्राम तथा लघु उद्योग, उद्योग, अन्य उद्योग, नागर विमानन, सड़क तथा सेतु, सड़क परिवहन, पर्यटन, सिविल पूर्ति तथा अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

सारणी 1.1.3 से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 के दौरान विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट अनुमान एवं वास्तविक में भिन्नता (–) 51.03 और (+) 40.16 प्रतिशत के मध्य एवं 2014–15 और 2015–16 के वास्तविक के मध्य भिन्नता (–) 22.67 से (+) 83.70 प्रतिशत के मध्य थी।

सम्बन्धित विभागों ने भिन्नता के निम्नलिखित कारणों को प्रतिवेदित किया:

अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग: बजट अनुमान को प्राप्त न किये जाने का कारण विभाग द्वारा, रायल्टी की दरों में पुनरीक्षण और रेत/मौरंग का खनन जो कि माननीय उच्च न्याालय द्वारा प्रतिबन्धित कर दिया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्ति में वृद्धि का कारण रायल्टी की दरों में वृद्धि तथा प्रवर्तन द्वारा विशेष ध्यान दिये जाने के कारण थी।

अन्य विभागों ने अनुरोध किये जाने के बाद भी विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को सूचित नही किया (अक्टूबर 2016)।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2016 तक के कुछ मुख्य राजस्व शीर्षो का बकाया ₹ 27,626.04 करोड़ था, जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ का बकाया पाँच वर्षो से अधिक का था, जैसा कि **सारणी 1.2** में वर्णित है:

सारणी 1.2
राजस्व के बकाये

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 को बकाये की कुल धनराशि	31 मार्च 2016 को पाँच वर्ष से अधिक बकाये की धनराशि	स्तर जिन पर बकाये लम्बित थे
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	27,188.58	11,804.32	₹ 27,188.58 करोड़ में से ₹ 4,270.19 करोड़ की माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित किया गया; ₹ 1,195.28 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 4,122.26 करोड़ की वसूलियाँ न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारियों एवं शासन द्वारा स्थगित की गयी थीं, ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध थी, ₹ 1,514.74 करोड़ की वसूली हेतु माँग बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 41.37 करोड़ ट्रान्सपोर्टरो से बकाया थे। शेष ₹ 15,457.15 करोड़ की धनराशि हेतु, विभाग में विशेष कार्यवाही की जा रही है।
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	243.76	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास उपलब्ध नही थे। विभाग उन चरणों को जिसके अधीन वसूली लम्बित है, प्रदान नहीं कर सका।
3.	वाहनों पर कर	118.11	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	₹ 118.11 करोड़ में से ₹ 13.98 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों एवं शासन द्वारा स्थागित की गयी थी। पाँच वर्ष से अधिक के बकाये के विवरण विभाग के पास मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध नही थे।
4.	राज्य आबकारी	52.72	52.25	₹ 52.72 करोड़ की सम्पूर्ण बकाया धनराशि हेतु माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिए प्रमाणित की गयी थी। ₹ 52.72 करोड़ मे से ₹ 0.06 करोड़ के वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्यों को भेजे गये, ₹ 16.81 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई थी तथा ₹ 5.77 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी।
5.	मनोरंजन कर	22.87	7.80	₹ 22.87 करोड़ में से ₹ 10.36 करोड़ की माँग माननीय न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्थागित की गयी थी तथा ₹ 12.51 करोड़ की माँग भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी।
6.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	विभाग के पास ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।	विभाग के पास निदेशालय स्तर पर बकाये के विवरण उपलब्ध नही थे।
योग		**27,626.04**	**11,864.37**	

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 1.4

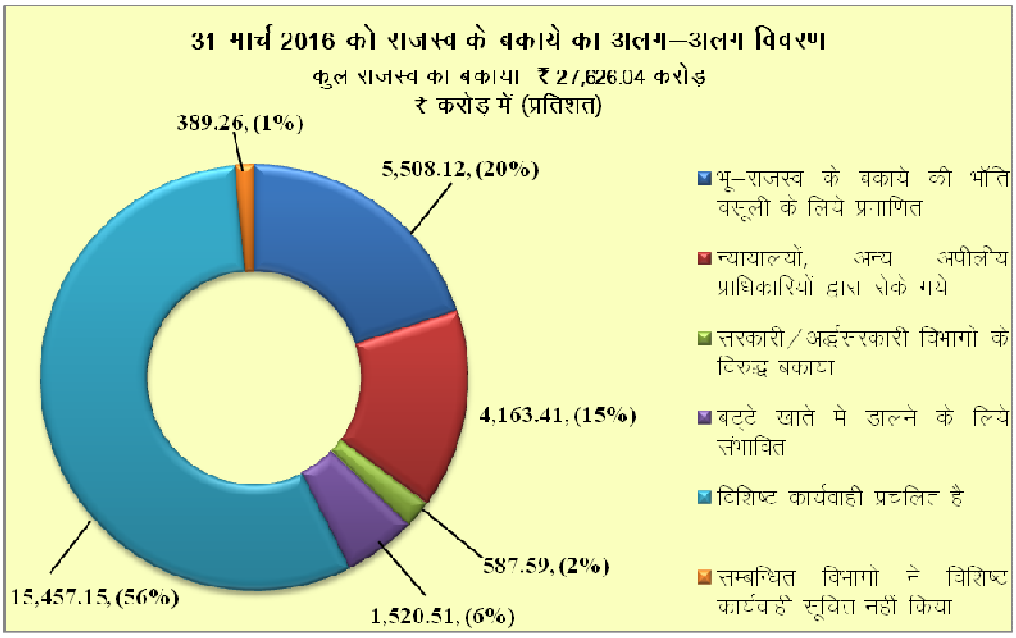

कुल बकाया ₹ 27,626.04 करोड़ में से ₹ 5,508.12 करोड़ भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित किया गया था, ₹ 4,163.41 करोड़ न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोके गये थे, ₹ 587.59 करोड़ सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग के विरुद्ध लम्बित था, ₹ 1,520.51 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 15,457.15 करोड़ के लिये वाणिज्य कर विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित है जबकि शेष ₹ 389.26 करोड़ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा की गयी विशिष्ट कार्यवाही को सूचित नहीं किया गया।

1.3 कर निर्धारण के बकाये

वाणिज्य कर विभाग द्वारा बिक्री, व्यापार आदि पर कर (बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर तथा संकर्म संविदा पर कर) के सम्बन्ध में प्रदान किये गये विवरण के अनुसार वर्ष के आरम्भ में लम्बित मामले, कर निर्धारण हेतु नये मामले, वर्ष के दौरान निस्तारित किये गये मामले तथा वर्ष के अन्त में निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या का विवरण निम्नानुसार **सारणी 1.3** में है।

सारणी 1.3
कर निर्धारण के बकाये

राजस्व शीर्ष	प्रारम्भिक शेष	2015–16 के दौरान कर निर्धारण हेतु नये मामले	कर निर्धारण हेतु कुल मामले	2015–16 के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में शेष मामले	निस्तारण की प्रतिशतता (कालम 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	66,261	2,21,963	2,88,224	2,79,019	9,205	96.81

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

निस्तारण की प्रतिशतता अच्छी थी परन्तु प्रकरणों के उसी वर्ष निस्तारण के लिये प्रयास किये जाने चाहिये जिससे बकाये उत्पन्न न हों।

1.4 विभागों द्वारा पता लगाया गया कर का अपवंचन

वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, परिवहन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर के अपवंचन के मामले एवं विभाग द्वारा निस्तारित किये गये एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँगों के मामलों का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया है, **सारणी 1.4** में दिया गया है।

सारणी 1.4
कर का अपवंचन

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को लम्बित मामले	2015–16 के दौरान पता लगाये गये मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें कर निर्धारण/जाँच पड़ताल पूरी कर ली गयी है तथा अर्थदण्ड आदि सहित अतिरिक्त माँग सृजित हुई		31 मार्च 2016 को निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	माँग की धनराशि	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	9,003	6,682	15,685	6,788	2,374.25	8,897
2.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	18,831	31,127	49,958	32,047	अनुपलब्ध	17,911
3.	वाहनो पर कर	5,358[6]	297	5,655	10	0.27	5,645
4.	मनोरंजन कर	17	13	30	30[7]	0.04	0
	योग	**33,209**	**38,119**	**71,328**	**38,875**	**2,374.56**	**32,453**

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपर्युक्त सारणी के देखने से पता चलता है कि वाहनों पर कर के मामलों के अतिरिक्त वर्ष के अन्त में निस्तारण के लिये लम्बित मामलों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुयी, लेकिन लम्बित मामलों में घटाव बहुत धीमा था।

1.5 लम्बित वापसी वाद

वर्ष 2015–16 के प्रारम्भ में लम्बित वापसी वादो की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत वापसी और वर्ष 2015–16 के अन्त में लम्बित वादो, जैसा कि वाणिज्य कर विभाग एवं राज्य आबकारी विभाग द्वारा बताया गया, **सारणी 1.5** में दिया गया है।

सारणी 1.5
लम्बित वापसी वादो का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विवरण	बिक्री कर/मू0सं0क0		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	वर्ष के प्रारम्भ मे लम्बित दावे	171	27.88	02	1.83
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	9,761	731.49	0	0
3.	वर्ष के दौरान की गयी वापसी	9,814	754.44	0	0
4.	वर्ष के अन्त में शेष लम्बित वाद	118	4.93	02	1.83

स्रोतः विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

[6] विभाग नें बताया कि पूर्व में सूचित 01.04.2015 को आरम्भिक अवशेष के आँकड़े अन्तरिम थे और संशोधित कर दिये गये हैं।

[7] इसमें विगत वर्ष के 17 मामले सम्मिलित हैं जिनमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

उत्तर प्रदेश मू0सं0क0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर तक अतिरिक्त धनराशि की वापसी व्यापारी को नहीं की जाती हैं, तो वापसी किये जाने तक एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का प्रावधान है। यद्यपि बिक्री कर/मू0सं0क0 के वापसी वादो के निपटाये जाने की प्रगति अपेक्षाकृत ठीक थी परन्तु वर्ष के अन्त में वापसी का लम्बित होना ब्याज के भुगतान के लिये दायी है। वर्ष के दौरान राज्य आबकारी विभाग में विगत वर्ष से लम्बित दावों की वापसी नहीं हुयी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा, संव्यवहारों की नमूना जाँच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव का सत्यापन करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है, जैसा कि नियमों एवं कार्यविधियों में निर्धारित है। ऐसा निरीक्षण, निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिनका स्थल पर समाधान नही हो पाता है, को शामिल करने वाले निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि0प्र0) से अनुगमित होता है जिन्हें निरीक्षण किये गये कार्यालयों के प्रमुखों के साथ–साथ उनके उच्चतर अधिकारियों को प्रतियों के साथ, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्गत किया जाता है। कार्यालयों के प्रमुखों/शासन को नि0प्र0 में शामिल आपत्तियों का तात्कालिक अनुपालन तथा कमियों एवं त्रुटियों का सुधार कर नि0प्र0 जारी होने के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या, प्रारम्भिक उत्तर के साथ महालेखाकार को भेजना अपेक्षित होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2015 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण से पता चला कि जून 2016 के अन्त तक 11,616 नि0प्र0 से सम्बन्धित ₹ 6,977.03 करोड़ की सन्निहित धनराशि के 39,256 लेखापरीक्षा प्रेक्षण लम्बित थे जैसा कि विगत दो वर्षो के तदनुरूपी आँकड़ो के साथ **सारणी 1.6** में नीचे वर्णित है।

सारणी 1.6
लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2014	जून 2015	जून 2016
निस्तारण के लिए लम्बित नि0प्र0 की संख्या	11,104	10,899	11,616
लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	34,446	38,049	39,256
सन्निहित राजस्व की धनराशि (₹ करोड़ में)	6,816.69	6,813.44	6,977.03

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.6.1 30 जून 2016 को लम्बित विभागवार नि0प्र0 एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उनमें सन्निहित धनराशियों के विवरण **सारणी 1.6.1** में वर्णित हैं:

सारणी 1.6.1
विभागवार नि0प्र0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,191	22,796	3,573.00
		मनोरंजन कर	163	344	15.25
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकरी	1,161	2,260	1,075.62
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,253	4,885	812.09
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	3,680	8,147	740.45
5	भू–तत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	168	824	760.62
योग			**11,616**	**39,256**	**6,977.03**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष 2015–16 के दौरान निर्गत 631 नि0प्र0 का यहाँ तक कि प्रथम उत्तर कार्यालयाध्यक्षों से नि0प्र0 के निर्गत करने के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुआ। नि0प्र0 का उत्तर प्राप्ति न होने के कारण अधिक संख्या में लम्बित रहना इस तथ्य का द्योतक है, कि कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागों ने नि0प्र0 में महालेखाकार द्वारा बतायी गयी कमियों, त्रुटियों तथा अनियमितताओं पर सुधारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नही की थी।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

नि0प्र0 तथा नि0प्र0 के प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति का अनुश्रवण करने तथा इसमें तेजी लाने के लिये सरकार लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। वर्ष 2015–16 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों एवं निस्तारित प्रस्तरों के विवरण **सारणी 1.6.2** में वर्णित हैं।

सारणी 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	राजस्व शीर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	धनराशि
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	23	72	2.11
2.	वाहनों पर कर	02	53	0.24
3.	स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क	01	76	1.33
4.	मनोरंजन कर	01	19	0.12
योग		**27**	**220**	**3.80**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

विभागीय लेखापरीक्षा समिति के बैठकों के आयोजित होने के बावजूद वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग तथा मनोरंजन कर विभाग में बड़ी मात्रा में लम्बित नि0प्र0 एवं प्रस्तरों की तुलना में प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति नगण्य थी। राज्य आबकारी विभाग तथा भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग ने अनुरोध के बावजूद लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों का आयोजन नहीं किया।

शासन को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर त्वरित तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली खोजने तथा लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के आयोजन पर विचार करना चाहिए ।

1.6.3 लेखापरीक्षा को जाँच हेतु अप्रस्तुत अभिलेख

कर राजस्व/करेतर राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त पहले बना लिया जाता है तथा सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा जाँच हेतु तैयार रखने योग्य बनाने के लिये लेखापरीक्षा प्रारम्भ होने के सामान्यतया एक माह पहले विभागों को सूचनायें भेज दी जाती हैं।

वर्ष 2015–16 के दौरान 29 वाणिज्य कर कार्यालयों में डीम्ड मामलों की सूची, कर निर्धारण पत्रावलियाँ, विवरणियाँ, वापसियों के रजिस्टर और अन्य सम्बन्धित अभिलेखों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा इन मामलों में सम्मिलित धनराशि का निश्चय नहीं कर सका।

1.6.4 आलेख लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर विभागों की प्रतिक्रिया

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित आलेख प्रस्तरों को महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने हेतु भेजा जाता है और छः सप्ताह के अन्दर उनसे उनकी प्रतिक्रिया भेजने हेतु अनुरोध किया जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे प्रस्तरो के अन्त में विभागों/शासन से उत्तरों के प्राप्त न होने का तथ्य निश्चित रूप से दर्शाया जाता है।

मई 2016 और जुलाई 2016 के मध्य एक निष्पादन लेखा परीक्षा सहित 26 आलेख प्रस्तर सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों को उनके नाम से भेजे गये थे। शासन/विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों मे अत्यधिक विलम्ब किया गया। भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के प्रतिवेदनों में शामिल 214 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 30 मई 2012 और 08 मार्च 2016 के मध्य राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा गया। इन प्रस्तरों पर सम्बन्धित विभागो द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ देर से प्राप्त हुईं। 2010–11 से 2014–15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 214 प्रस्तरों के विरुद्ध 129 प्रस्तरों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ एक माह से 43 माहों तक के विलम्ब से प्राप्त हुयीं। 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 को समाप्त होने वाले वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 85 प्रस्तरों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नही हुयीं (अक्टूबर 2016)।

लो0ले0स0 ने 2010–11 से 2013–14 के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 96 चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की। यद्यपि लो0ले0स0 के 96 प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नही हुयी जैसा कि **सारणी 1.6.3** में दर्शित है।

सारणी 1.6.3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर का0आ0 की सारांशीकृत स्थिति

वर्ष	विभाग का नाम	योग
2010–11	राज्य आबकारी, परिवहन और स्टाम्प एवं निबंधन, बॉट एवं माप	17
2011–12	वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, भू–तत्व एवं खनिकर्म, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/वन, बॉट एवं माप	54
2012–13	राज्य आबकारी, परिवहन, भू–तत्व एवं खनिकर्म, बॉट एवं माप	18
2013–14	राज्य आबकारी, वाणिज्य कर	07
	योग	**96**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों के निपटारे हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुख्य रूप से दिखाये गये मुद्दों के विभागों/शासन द्वारा समाधान हेतु प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु, परिवहन विभाग से सम्बन्धित पिछले 10 वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये प्रस्तरों पर की गयी कार्यवाही मूल्यांकित की गयी थी एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गयी है।

अनुवर्ती प्रस्तरों 1.7.1 से 1.7.2 में राजस्व शीर्ष 0041 एवं 0042 के अधीन परिवहन विभाग के निष्पादन और विगत 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाये गये मामलों तथा साथ ही वर्ष 2006–07 से 2015–16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर चर्चा की गयी है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवदेनों की स्थिति

विगत 10 वर्षों के दौरान परिवहन विभाग को जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांशीकृत स्थिति इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रस्तरों और 31 मार्च 2016 तक की उसकी स्थिति के विवरण निम्न **सारणी 1.7.1** में सारणीबद्ध हैं।

सारणी 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	वर्ष	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान अभिवृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के दौरान अन्तिम शेष		
		नि0प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0 प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0 प्र0	प्रस्तर	धनराशि	नि0प्र0	प्रस्तर	धनराशि
1	2006–07	904	2,710	102.72	61	171	9.22	1	4	0.01	964	2,877	111.93
2	2007–08	964	2,877	111.93	67	295	11.35	6	12	0.10	1,025	3,160	123.18
3	2008–09	1,025	3,160	123.18	74	245	107.19	208	546	10.73	891	2,859	219.65
4	2009–10	891	2,859	219.65	78	360	25.74	39	111	11.15	930	3,108	234.24
5	2010–11	930	3,108	234.24	60	183	8.34	132	610	15.57	858	2,681	227.01
6	2011–12	858	2,681	227.01	71	510	87.47	4	24	0.39	925	3,167	314.09
7	2012–13	925	3,167	314.09	80	744	170.80	0	5	0.12	1,005	3,906	484.77
8	2013–14	1,005	3,906	484.77	78	733	327.22	7	114	1.77	1,076	4,525	810.22
9	2014–15	1,076	4,525	810.22	60	575	57.88	0	6	0.20	1,136	5,094	867.90
10	2015–16	1,136	5,094	867.90	66	526	28.95	0	53	0.24	1,202	5,567	896.61

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

शासन पुराने प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभाग और महालेखाकार कार्यालय के मध्य लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों का आयोजन कराता है। जैसा कि उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 01 अप्रैल 2006 को 2,710 प्रस्तरों के साथ लम्बित 904 नि0प्र0 31 मार्च 2016 को बढ़कर 5,567 प्रस्तरों के साथ 1,202 नि0प्र0 लम्बित हो गये। यह इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में उचित कदम नहीं उठाया गया परिणामस्वरूप लम्बित नि0प्र0 और प्रस्तरों की संख्या में वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

विगत 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों जिनको परिवहन विभाग ने स्वीकार किया एवं वसूल की गयी धनराशि की स्थिति **सारणी 1.7.2** में वर्णित है।

सारणी 1.7.2
स्वीकार किये गये मामलों की वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शमिल किये गये प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की धनराशि	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की संख्या	स्वीकार किये गये प्रस्तरों की धनराशि	वसूल की गयी धनराशि
2005–06	3	1.73	3	1.30	1.18
2006–07	2	6.11	0	0	0
2007–08	2	82.02	1	30.62	16.12
2008–09	4	5.80	4	1.48	0.38
2009–10	6	15.62	4	3.48	1.98
2010–11	7	2.46	6	1.58	0.72
2011–12	9	15.42	5	11.28	4.21
2012–13	8	9.75	6	1.88	0.64
2013–14	10	35.58	0	0	0
2014–15	7	38.82	6	38.52	0.20

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत दस वर्षो में स्वीकार किये गये मामलों मे भी वसूली की प्रगति नगण्य थी। स्वीकार किये गये मामलों की वसूली का अनुसरण सम्बन्धित पक्षों से वसूली योग्य बकाये की तरह किया जाना चाहिए था। विभाग/शासन द्वारा स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के अनुश्रवण के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नही की गयी थी। उपयुक्त प्रक्रिया के अभाव में विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली का अनुश्रवण नही कर सका।

विभाग को स्वीकार किये गये मामलों में सन्निहित देयों की त्वरित वसूली हेतु अनुसरण एवं अनुश्रवण की शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

1.8 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा की गयी निष्पादन लेखापरीक्षाओं (नि0ले0प0) का आलेख सम्बन्धित विभाग/शासन को उनके उत्तर देने के अनुरोध के साथ उनके सूचनार्थ अग्रसारित किया जाता है। इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर समापन गोष्ठी में चर्चा भी की गयी थी तथा शासन/विभागों के विचार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रुप देते समय शामिल कर लिया गया।

वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग एवं स्टाम्प एवं निबंधन विभाग की विगत पाँच वर्षों के प्रतिवेदन में प्रदर्शित निष्पादन लेखापरीक्षाओं की स्वीकार की गयी संस्तुतियों और उनकी स्थिति का विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया है।

1.9 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये लेखापरीक्षा कार्यान्वयन

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पूर्व रुझान एवं अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्य एवं लघु जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें कर प्रशासन व शासकीय राजस्व के महत्वपूर्ण मामले जैसे बजट अभिभाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों

(राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की रूप रेखा, लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसका प्रभाव आदि सम्मिलित रहता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 2,352 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ थीं, जिसमें 585 इकाइयों की योजना की गयी थी और 580 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी थी जो कि कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों का 25 प्रतिशत है। एक इकाई समाप्त हो जाने, एक इकाई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय सन्दर्भित करते हुये लेखापरीक्षा से इन्कार करने एवं तीन इकाइयों द्वारा प्रशासनिक कारणों से मार्च 2016 के बाद लेखापरीक्षा करवाने के अनुरोध करने के कारण पाँच योजित इकाइयों की लेखापरीक्षा नहीं हो सकी **(परिशिष्ट–II)**।

1.10 वर्ष के दौरान सम्पन्न की गयी लेखापरीक्षा में पायी गयी कमियाँ

वर्ष 2015–16 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 788 मामलों में ₹ 1,552.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें सन्निहित धनराशि ₹ 1,547.67 करोड़ के 462 मामले वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे। 277 मामलों में ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिनमें सन्निहित धनराशि ₹ 84.71 लाख के 50 प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे।

1.11 इस प्रतिवेदन का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में ''**परिवहन विभाग के कार्य–कलाप ''** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ''**भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन**'', ''**उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली**'', एवं ''**स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर**'' की तीन लेखापरीक्षाओं को सम्मिलित करते हुये 26 प्रस्तर (उक्त सन्दर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ज्ञात किये गये एवं पूर्व वर्षो के दौरान के मामले, जो पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नही किये गये में से चयनित) जिसमें सन्निहित वित्तीय प्रभाव ₹ 2,895.55 करोड़ का है, शामिल हैं ।

शासन/विभागों ने ₹ 1,547.50 करोड़ की धनराशि के प्रेक्षणों को स्वीकार किया। जिसमें से ₹ 82.05 लाख वसूल कर लिया गया था (सितम्बर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से VI में की गयी है।